कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद।
विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या / तिथिः /जि0वि0से0प्रा0 / फैजाबाद / दिनॉक मार्च,2024
आवेदन की अन्तिम तिथिः 13.04.2024

शासनादेश सख्या–400 / सात– न्याय–7–2014–8 / 2008 न्याय अनुभाग–7(कल्याण निधि) लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर 2014 के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद में पूर्णकालिक सचिव के साथ **01 सेवानिवृत्त आशुलिपिक, जो दीवानी न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए हों,** की नियुक्ति नियत मानदेय पर नीचे लिखे विवरण के अनुसार की जानी है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

पद का नाम	पदों की संख्या	शासनादेश संख्या– 277 / सात–न्याय–7–23–08 / 2008 न्याय अनुभाग–7 (क0नि0) लखनऊ दिनॉक 24.05.2023 के अनुसार नियत मानदेय
आशुलिपिक	एक पद	दीवानी न्यायालय / कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रू०–10,730 / – नियत मासिक मानदेय पर।

उक्त पद पर अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी अपना नाम, पता, जन्मतिथि, विभाग का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्ति की तिथि, फिटनेस प्रमाण–पत्र, पहचान–पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र आदि) तथा मोबाइल नम्बर अंकित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद के कार्यालय में दिनाँक 28.02.2024 को अपरान्ह 05.00 बजे तक जमा करने हेतु आवेदन–पत्र आमन्त्रित किये गये थे। माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद के अनुमोदन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद में पूर्णकालिक सचिव के साथ 01 सेवानिवृत्त आशुलिपिक की नियुक्ति हेतु आवेदन फार्म जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद के कार्यालय में जमा करने की **अन्तिम तिथि दिनॉक 28.02.2024 से बढ़ाकर 13.04.2024 तक कर दिया गया है।** आवेदक किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य **दिनॉक 13.04.2024 तक** प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

(मोहिन्दर कुमार)
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट) /
अध्यक्ष, चयन समिति,
जनपद न्यायालय, फैजाबाद।

पत्रांक सं०– 370 ५1/23 / जि०वि०से०प्रा० / फैजाबाद / दिनाँकः 2/4/24
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय, फैजाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय।
2. जिलाधिकारी, फैजाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि कलेक्ट्रेट न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा कराने एवं प्रसारित कराने एवं सम्बन्धित कर्मचारी संघ यदि हों, के मध्य सूचना हेतु प्रसारित कराने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित करें।
3. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि सिस्टम आफिसर को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त विज्ञप्ति जनपद न्यायालय, फैजाबाद तथा माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. जिला सूचना अधिकारी, फैजाबाद को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

29-3-24

(शैलेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला जज / सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
फैजाबाद।